

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, कटिहार/समस्तीपुर/वैशाली
(हाजीपुर)/सारण(छपरा)/औरंगाबाद/भोजपुर(आरा) ।

पटना, दिनांक:- 4-1-19

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या- 26-
उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-
2230011140102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3373 दिनांक-14.05.18 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में 31 मार्च 2019 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1.	कटिहार	01	0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, कटिहार के ज्ञापांक-1148 दि. -17.11.18 के आलोक में (1) स्व. मो. मंसूर, आश्रित माबुद बक्स(पिता) एवं रौशन आरा(माता) ग्रा.- फुहागाँव, पो.-गांजन, पंचायत-कमरौल, थाना+ प्रखंड-बारसोई, जिला-कटिहार के भुगतान हेतु।
2.	समस्तीपुर	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक-909 दि.- 29.11.18 के आलोक में स्व. पलटन सहनी, आश्रित दुरो देवी (पत्नी), ग्रा.-सिरहचिया, पो0-महुली, थाना+प्रखंड-हसनपुर, जिला-समस्तीपुर के भुगतान हेतु।
3.	वैशाली (हाजीपुर)	04	तदैव	400000/- (चार लाख)	जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक-1498, 1492, 1496 एवं 1494 सभी दिनांक-03.12.2018 (1) स्व0 अशोक कुमार, आश्रित मनीषा कुमारी (पत्नी), ग्रा0-चमरहरा, पो0-महनार रोड आर0एस0, थाना+ प्रखंड-महनार, जिला-वैशाली (2) स्व0 हरेराम राय, आश्रित सुशीला देवी (माता), ग्रा0+ पो0-रामपुर श्यामचंद, थाना+प्रखंड-राघोपुर, जिला-वैशाली (3) स्व0 शाहीद आलम, आश्रित मु0 इशरत जहाँ (पत्नी), ग्रा0-भरहो, पो0-सरमस्तपुर, थाना+प्रखंड-महनार, जिला-वैशाली (4) स्व0 संजय साह, आश्रित मंजू देवी (पत्नी), ग्रा0-माणिकपट्टी, पो0-नारायणपुर डेढ़पुरा, थाना+प्रखंड-महनार, जिला-वैशाली के भुगतान हेतु।
4.	सारण (छपरा)	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक-1670, दिनांक- 03.12.2018 के आलोक में (1) स्व0 अरुण कुमार, आश्रित सविता देवी (पत्नी), ग्रा0+पो0-मगरपाल नूरन, प्रखंड-दरियापुर, जिला-सारण के भुगतान हेतु।

5.	औरंगाबाद	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-984, दिनांक-03.12.2018 के आलोक में (1) मृतक-स्व0 जितेन्द्र कुमार, आश्रित कुमारी रिया राज (पत्नी), ग्रा0-हसनपुर, पो0-डिहुरी, थाना-गोह, जिला-औरंगाबाद के भुगतान हेतु।
5.	भोजपुर (आरा)	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, भोजपुर(आरा) के पत्रांक-1059, दिनांक-10.12.2018 के आलोक में (1) स्व0 धर्मवीर सिंह, आश्रित शोभा देवी (पत्नी), ग्रा0-मेघरियों, पो0-बडगाँव, थाना-अजीमाबाद, प्रखंड-अगिआँव, जिला-भोजपुर के भुगतान हेतु।
	कुल	09		900000/-	

कुल आवंटित राशि ₹ 9,00,000/- (₹ नौ लाख) मात्र।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत नियमानुसार जाँच पड़ताल कर उन्हीं मृत/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया हो। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि. दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है।
4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
6. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभूकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
7. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में CFMS Software से निर्गत न कर मैनुअली निर्गत किया जा रहा है।
8. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।

विश्वासभाजन,

१२/११/१९

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/18 श्र0सं0-

१२२

पटना, दिनांक

४-१-१९

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

१२/११/१९

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/18 श्र0सं0-

१२२

पटना, दिनांक-

४-१-१९

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.सं.प्रे.सं.-521 एवं 527 (श्रम पक्ष) क्रमशः दिनांक-11.12.18 एवं 14.12.18 के आलोक में/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ प्रशाखा-6, बजट शाखा (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा प्रशाखा-01 (श्रमपक्ष) द्वारा किया जायेगा।

१२/११/१९

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।